



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502



2 मई 2022

**विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें-
तीसरी शृंखला**

विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) ने सिफारिशों की तीसरी शृंखला में अतिरिक्त 225 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की है।

आरआरए 2.0 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक निर्देशों की समीक्षा करने, अनावश्यक और अनुलिपि (डुप्लिकेट) निर्देशों को हटाने और विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। आरआरए ने [दिनांक 16 नवंबर 2021 की प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से सिफारिशों की पहली शृंखला में 150 परिपत्रों और [दिनांक 18 फरवरी 2022 की प्रेस प्रकाशनी](#) के माध्यम से सिफारिशों की दूसरी शृंखला में 100 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त, दूसरी शृंखला में, आरआरए ने विनियामक रिपोर्टिंग से संबंधित जानकारी को समेकित करने के लिए आरबीआई वेबसाइट में एक नया 'विनियामक रिपोर्टिंग' लिंक बनाने के साथ-साथ 65 विवरणियों को बंद करने /विलय/ ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण में रूपांतरण की भी सिफारिश की थी।

वापस लेने के लिए विशिष्ट निर्देशों की सूची वाली अधिसूचनाएं अलग से जारी की जा रही हैं।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/145

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक